an>

Title: Need to release funds to farmers whose crops have been damaged due to hailstoms in Uttar PRadesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में संसदीय क्षेत्र में अतिवृष्टि से वर्ष 2014 में खरीफ की फसलें जनपद जालौन में 50 प्रतिशत से अधिक बर्बाद हो जाने पर तहसीलवार सर्वे करवाकर एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत जिलाधिकारी जालौन द्वारा मांगी गई धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई जिसे तहसीलवार बांटा गया। इस कारण से 50 प्रतिशत ग्राम व कृषक वंचित रह गये। इस संबंध में उ.प्र. सरकार ने शेष धनराशि क्यों नहीं भेजी जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है व उत्तर प्रदेश सरकार की यह कार्यवाही नीति संगत नहीं है। मेरी मांग है कि शेष डिमांड का 50 प्रतिशत पैसा कृषकों को दिया जाए।

जनपद जालौन की शीर्ष सहकारी बैंक जालौन को-आपरेटिव लि. उरई है। जनपद की समस्त 64 सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के खाद, बीज, व ऋण वितरण, खरीफ 2014 में लेने पर 6 प्रतिशत धनराशि बीमा में प्रीमियम के रूप में काट ली गयी। बीमा का कुल प्रीमियम 1,72,35,587.99 रुपया जालौन कोआपरेटिव बैंक द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, लखनऊ) को चैक द्वारा 25-08-2014 को भेजा गया। यह धनराशि 580 ग्राम पंचायतों के कृषकों से ली गयी जिसमें 217 ग्राम पंचायतों को बीमा का लाभ मिला तथा 363 ग्राम पंचायतों को बीमा नहीं दिया गया जिससे जनपद जालौन में 16961 कृषकों में से 9379 कृषकों को लाभ नहीं मिला। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा क्लेम भी जिलाधिकारी जौलान द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार न देकर मनमाने ढंग से भेजा जिया जिसका कोई आधार नहीं बताया जा रहा है।